UPRB010006392026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–254/2026

1– मोहिनी देवी यादव उम्र 28 वर्ष, पत्नी शिवशरण यादव

2– शिवशरण यादव उम्र 31 वर्ष, पुत्र अमरपाल यादव

निवासीगण, ग्राम रायपुर महेबा थाना सलोन, रायबरेली।

3– सुकेश कुमार उर्फ मुकेश उम्र 31 वर्ष पुत्र भारतलाल निवासी मसौदाबाद बघौला, थाना कोतवाली सलोन, जनपद रायबरेली।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्तगण

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी।

18–03–2026

आवेदिका–अभियुक्तगण **मोहिनी देवी यादव, शिवशरण यादव ,**एवं **सुकेश कुमार उर्फ मुकेश** की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 BNSS, अपराध संख्या **17/2026**, धारा–**3(5),316(2)भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **सलोन,** जिला **रायबरेली,** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी कि " प्रार्थी/वादी एक वृद्ध व नेत्रहीन इन्सान है जिसकी भूमि का बैनामा 13.05.2024 को विपक्षी सं 1 ने सलोन तहसील से लिखा लिया लेकिन विपक्षी सं1 का पति जो कि विपक्षी सं0–2 है वह एक अपराधी व दबंग किस्म का व्यक्ति है जो कि विपक्षी सं0–1 के नाम से ग्राम बघोल में कई लोगों की जमीन हडप रखी है और जब प्रार्थी ने पैसे की बात कही तो विपक्षी सं0–2 ने विपक्षी सं0–4 से सांठ–गांठ करके 4,60,000/–रु (चार लाख साठ हजार रू) विपक्षी सं0–4 के एकाउन्ट में ट्रान्सफर कर दिया व 2,40,000/–(दो लाख चालिस हजार रु) विपक्षी सं–4 को नगद दिया लेकिन प्रार्थी को एक भी रूपया प्राप्त नही हुआ, जब प्रार्थी ने विपक्षी सं0–2 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र थाना सलोन में दिया तो विपक्षी सं0–2 ने 08.07.2024 को प्रार्थी के खाते पे आनलाइन 4 लाख रु भेजे और फिर बाद में उसी वक्त विपक्षी सं–3 के खाते में 4 लाख रु प्रार्थी से ट्रान्सफर करा लिया यह कहकर कि ये ठेकेदार है ये तुम्हारा मकान बनवा देंगे, फिर बाद में प्रार्थी ने थाना सलोन में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया तो थाना सलोन की पुलिस ने विपक्षियों को थाने में बुलवाया और प्रार्थी से दिनांक 6.01.2024 को विपक्षी सं0–1 ने विपक्षी सं0–4 को लेकर 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर सुलहनामा कराया उसमें यह शर्त रखी गई थी कि 3 माह के अन्दर विपक्षी सं–1 विपक्षी सं0–4 से रुपया लेकर प्रार्थी को दे देंगा लेकिन विपक्षी

सं0–1 जो कि अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार व चालाक समझता है इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने मानभीय पुलिस अधीक्षक महोदय व माननीय जिलाधिकारी महोदय को कई प्रार्थनापत्र दिया लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की गई फिर बाद में प्रार्थी ने दिनांक 22.12.2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी को आईजीआरएस के जरिये प्रार्थना पत्र दिया जिसमें क्षेत्राधिकारी सलोन ये कहकर टहला रहे है कि ये सिविल का मैटर है आप कोर्ट में जाईये फिर बाद में प्रार्थी थाना सलोन की सूची चौकी पर गया तो वहां पर भी प्रार्थी को टहलाया जा रहा है, और विपक्षी सं0–1 ने थाना सलोन की पुलिस से सौंठ–गाँठ करके प्रार्थी का वीडियों बना रखा है और यह कहकर बनाया है कि अगर तुमको जीवित रहना है तो मैं जो कहूँ वही तुम बोलना, वीडियों बन रहा यह बात प्रार्थी को पता ही नहीं थी इससे यह प्रतीत होता है कि सलोन थाने की पुलिस भी विपक्षीगणों के साथ मिली हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना अभी प्रचलित है।

आवेदिका–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन आख्या का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदिका –अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका –अभियुक्तगण निर्दोष है, उसे पुलिस द्वारा रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा काफी चालाक व शातिर व्यक्ति है, नेत्रहीन होने का लाभउठाकर ठगी का कार्य करता है। वादी मुकदमा बैनामा होने के लगभग 2 वर्ष पूर्व से बैनामा के गवाह भारत कुमार उर्फ बबलू सोनी पुत्र सुदामा सोनी निवासी गढी खास परगना व तहसील सदर साथ–साथ रह रहे थे। भारत कुमार उर्फ बबलू सोनी ही वादी मुकदमा की देख रेख दवा इलाज सब करवा रहा था । प्रार्थीगण की अभियुक्त सं० 04 से कोई सॉठ गांठ नहीं थी, न ही कोई वास्ता सरोकार था । वादी मुकदमा ने अपनी जरूरत पर प्रार्थिनी । विपक्षी सं० 01 को भूमि विक्रय किया है, वादी मुकदमा ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि उसने भूमि कितने रुपये में विक्रीत किया है। वादी मुकदमा ने मात्र 4 लाख रुपये में अपनी भूमि धरी भूमि विक्रय किया था भूमि विक्रय किए जाने के पूर्व ही दिनांक 10–05–24 को चेक सं० 653558 से 460000/ रुपया वादी मुकदमा द्वारा अपने साथ रह रहे भारत कुमार उर्फ बबलू सोनी के खाते में अंतरित करवा लिया, वादी मुकदमा अपना सारा लॅन देन भारत कुमार उर्फ बबलू सोनी के माध्यम से ही करवाता था, कहता था की मुझे दिखाई नहीं देता है यही मेरा सहारा है। तब प्रार्थीगण ने के वादी मुकदमा कहने पर रुपये अंतरित किए थे। इसके अतिरिक्त मुकदमा वादी द्वारा प्रार्थिनी अभियुक्ता के पति शिवशरण, विपक्षी सं० 02 से भूमि विक्रय किए जाने हेतु रु 240000/= (दो लाख चालिस हजार रुपये) नगद भी लिए थे । इस तरह उक्त भूमि के संदर्भ में वादी मुकदमा द्वारा भूमि विक्रय किए जाने हेतु तयशुदा 4 लाख रुपये के बजाय, कुल रुपये 7 लाख वसूल किये गये है, जिसे वादी व विपक्षी सं० 2 शिवशरण द्वारा दिया जाना स्वीकार भी किया गया है। वादी ने झूठा कथन किया है कि विपक्षी सं० 3 ठेकेदार है और वह मकान बनवा देगें, ऐसी कभी कोई बात मकान बनवाने की वादी से नही हुयी है। विपक्षी सं० 03 व प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अभियुक्त सं० 05 के संबंध में सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई आरोप या रोल नहीं दिखाया गया है न ही कोई कथंन किया गया है अनावस्यक विपक्षी सं० 03 सुकेश कुमार को नामित किया गया है। वादी मुकदमा चूंकि नेत्रहीन है इसलिए समय समय पर बहुत से नए लोगों को संपति का लालच देकर अपने

साथ रखता रहा है वर्तमान में भी किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है जो कि अपना नाम रवि श्रीवास्तव बताता है वादी मुकदमा के साथ मिलकर अवैध वसूली किए जाने हेतु उच्चअधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थी विपक्षी सं० 02 को लगातार मो० 9454855729 न० से बात कर वादी मुकदमा को रुपये देने हेतु दबाव बना रहा है, एवं रुपये न देने पर बराबर गंभीर मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहा है। वादी मुकदमा के बैनामा किए जाने के बाद वादी मुकदमे के भतीजे नितिन कुमार ने उक्त भूमि के संदर्भ में वादी मुकदमा राम प्रसाद के विरुद्ध बैनामा निरस्तीकरण का वाद योजित किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थिनी मोहिनी देवी सीधी शाधी ग्राहिणी है जिसे अभियुक्ता बना दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से बैनामा की तिथि के लगभग 01 वर्ष 8 माह बाद अंकित कराई गई है, एवं विलंब का कोई स्पष्ट कारण भी अंकित नहीं किया है। आवेदिका/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप 7 साल से कम सजा के प्राविधान के है। आवेदिका /अभियुक्तगण कोई आपराधिक इतिहास नही है। वादी मुकदमा के मन में पैसो का लालच आ जाने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। आवेदिका /अभियुक्तगण को लगातार गिरफ्तारी की आशंका बनी हुयी है। आवेदिका –अभियुक्तगण विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। तद्नुसार आवेदिका –अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका –अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तगण है। आवेदिका –अभियुक्तगण कथित घटना में संलिप्त रहा है। विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्य से आवेदिका के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन कथानक व प्रार्थिनी/अभियुक्तगण की ओर से लिये गये बचावों के अनुसार प्रार्थिनी/अभियुक्तगण पर दिनांक 13–05.2024 को वादी, जो कि एक वृद्ध नेत्रहीन व्यक्ति है, की जमीन का बैनामा अभियुक्त सं० 1, जो कि अभियुक्त सं० 2 की पत्नी है, के नाम अभियुक्तगण द्वारा सांठ–गांठ करके करा लिया गया है और बैनामा प्रतिफल की धनराशि वादी/विक्रेता को प्राप्त न कराये जाने का अभियोग है। प्रश्नगत बैनामे के सम्बन्ध में बैनामा निरस्तीकरण का वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया है। आवेदिका/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप 7 साल से कम सजा के प्राविधान के है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदिका–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त पाता हूँ। तद्नुसार उसके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका –अभियुक्तगण **मोहिनी देवी यादव, शिवशरण यादव ,**एवं **सुकेश कुमार उर्फ मुकेश** को अपराध संख्या **17/2026**, धारा– **3(5),316(2)भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **सलोन,** जिला **रायबरेली,** के मामले में उनके प्रत्येक के द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदिका–अभियुक्तगण दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि आवेदिका–अभियुक्तगण इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्तगण के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदिका–अभियुक्तगण प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा –

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदिका –अभियुक्तगण की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
18–03–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.03.19 10:21:48 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Rebareli